न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2022 (राजसमन्द आर्डर)

1. उमेश पिता गणेशलाल जी कुमावत, निवासी खाती कुंआ जे.के. मोड़ कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. गणेशलाल पिता उदयलाल जी कुमावत, निवासी खाती कुंआ जे.के. मोड़ कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मै. रेनबो नेचुरल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स देवपुरिया पीपरडा, तहसील व जिला राजसमन्द जरिये डायरेक्टर :–

1/1. नानालाल पिता शंकरलाल जी कुमावत, निवासी विठ्ठलनाथ जी वास दरवाजे के अन्दर एम.डी., तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. लक्ष्मीलाल पिता शंकरलाल जी कुमावत, निवासी विठ्ठलनाथ जी वास दरवाजे के अन्दर एम.डी., तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/3.उगराज पिता शंकरलाल जी कुमावत, निवासी विठ्ठलनाथ जी वास दरवाजे के अन्दर एम.डी., तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. गोपीलाल पिता शंकरलाल जी कुमावत, निवासी विठ्ठलनाथ जी वास दरवाजे के अन्दर एम.डी., तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

2. गणेशलाल पिता रतनलाल जी कुमावत, निवासी माताजी मंदिर के पास, बडारडा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द दिनांक 01–04–2022 प्र.सं. 120/2021

———::———

उपस्थित :– 1– श्री ललित कुमावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री शेषमल गायरी अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/4
3– श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवपुरिया में आराजी नं. 3887, 3888, 3889 कुल किता 3 रकबा 0.6718 हैक्टर भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 के सहखातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:05 IST
Reason: SelfAttested

होकर विवादित आराजियात के उत्तरी पूर्वी भाग में विपक्षी संख्या 1 की कृषि आराजी नंबर 3879/4 स्थित है। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की विवादित आराजियात के उत्तरी भाग पर अतिक्रमण कर आराजी नंबर 3887 में 3321 वर्गफिट, आराजी नंबर 3888 व 3889 में 10412 वर्गफिट कुल 13733 वर्गफिट भाग पर अवैध अतिक्रमण कर गैंगसा फैक्ट्री का निर्माण करीब एक वर्ष पूर्व करवा दिया। प्रार्थीगण ने उक्त अतिक्रमण हटाने को कहा तो उन्हें शेष आराजियात पर भी कब्जा करने की धमकी दी। अतः विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करायी जावे।

विपक्षी संख्या 1 खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि करीब दो वर्ष पूर्व तत्कालीन खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है तथा वह सहखातेदार है। केवल मात्र विपक्षी संख्या 1 को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 01–04–2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे होकर रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–05–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील श्री शेषमल गायरी उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 आराजी नंबर 3887, 3888, 3889 के खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजियात क्रय की हो तथा उक्त आराजियात पर हक अधिकार हो ऐसा कोई अभिवचन विपक्षी संख्या 1 का नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी संख्या 1 द्वारा आंशिक भाग पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में कोई सीमांकन रिपोर्ट एवं पुलिस थाने में कार्यवाही नहीं किये जाने को आधार बनकर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करने हुए यह माना है कि ''प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के आंशिक भाग पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु इस संबंध में अपनी भूमि की सीमांकन रिपोर्ट अथवा अतिक्रमण बाबत् पुलिस थाने में विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि विपक्षी संख्या 1 दो वर्ष पूर्व फैक्ट्री लगाने का कथन करता है।'' उक्त आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं मानकर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानकर प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है, क्योंकि विपक्षी संख्या 1 के कथनानुसार दो वर्ष पूर्व फैक्ट्री का निर्माण किया गया एवं स्वयं प्रार्थीगण ने भी अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में गैंगसा फैक्ट्री का निर्माण एक वर्ष पूर्व करने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सीमांकन संबंधी कार्यवाही इतने समय तक क्यों नहीं की गयी तथा अतिक्रमण संबंधी कोई रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं दर्ज करायी गयी है। इस बाबत् उनके द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01–04–2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:05 IST
Reason: SelfAttested